



## एंड्रॉयडफोनमंदिरमेंनहींलेजा सकेंगे, 5-5 घंटेंकीहोगीशिफ्ट

अयोध्या (एजेंसी)। अयोध्या में रामलला के पुजारियों के लिए सम्मान 1 जुलाई से डेस कोड लागू हो गया। मुख्य पुजारी, 4 सहायक पुजारी और 20 ट्रेनी पुजारी एक खास पर्वथान में दिखेंगे। अब तक गर्भगृह में पुजारी के सरिया रंग के कपड़ों में दिखते थे। सिर पर के सरिया साफा, कुर्ता और धोती पहनते थे, लेकिन राम मंदिर द्रस्ट ने इसमें बदलाव किया है। अब पुजारियों को पीतांबरी (पीली) चौबंदी के साथ धोती और सिर पर साफा बांधना होगा। राम मंदिर के साहबक पुजारी संतोष कुमार तिवारी ने

कहा- धर्मशास्त्रों के अनुसार, पुजारियों ने ऐसे वस्त्र नहीं पहनने चाहिए, जिनमें पाव या सिर ढालना हो। इसलिए नया डेस कोड लागू किया गया है। संतोष तिवारी ने ये भी बताया- पहले पुजारी सामान्य धोती-कुर्ता, कुर्ता-पायजामा पहनकर आ जाते थे। साफा (पाड़ी) और पीतांबरी (पीली) भी पहनते थे, लेकिन यह अनिवार्य नहीं था। नए डेस कोड को राम मंदिर की पूजा में एक-रूपता लाने के लिए लागू किया गया। इससे बढ़ युजारी आचार्य सत्यंद्र दास भी सहमत थे। रामलला के दरबार में 1 जुलाई से पुजारी



एंड्रॉयड फोन नहीं ले जाएंगे। सतोष तिवारी ने बताया- राम मंदिर द्रस्ट ने सुरक्षा करणों से यह नियंत्रण लिया है। दरअसल, छाल के दिनों में राम मंदिर परिसर के अंदर से कछु ऐसी तस्वीरें सामने आई थीं, जिसको लेकर काफी हो-हल्ला मचा था। उनमें से कोई पानी टपकने की तस्वीर भी शामिल थी। हालांकि, बाद में इस पर मंदिर द्रस्ट की सफाई भी आई, जिसमें बताया गया था कि जिस जगह पर रामलला विराजमान है। वहां पर एक बंद भी पानी नहीं गिरा। राम मंदिर द्रस्ट सहायक पुजारियों को हर महीने 32 हजार रुपए।

## संक्षिप्त समाचार

**आजादी के 77 साल बाद देश में न्याय व्यवस्था हुई स्वदेशी**

- 3 नए आपराधिक कानूनों पर शाह ने कहा- अब दंड की जगह न्याय मिलेगा।

नई दिल्ली (एजेंसी)। देश में अंग्रेजों के जमाने से चल रहे कानूनों की जगह 3 नए कानून भारतीय न्याय सहित, भारतीय नागरिक सुरक्षा और भारतीय साक्ष्य अभियान 1 जुलाई से लागू हो गए हैं। इन्हें आरपीसी (1860), सीआरपीसी (1973) और एविडेस एकट (1872) की जगह लाया गया है। कानूनों के लागू होने के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने भीड़ीया को इन कानूनों को जानकारी दी। शाह ने कहा-



कि आजादी के 77 साल बाद क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम अब पूरी तरह से स्वदेशी हो गया है। शाह बोले- अब दंड की जगह न्याय मिलेगा। मामलों में देरी की एक नीति द्यायल होगा। साथ ही सबसे आधिकारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बनेगा। गृहमंत्री के मुताबिक मिलिंगर में 22 लाख से ज्यादा पुलिसकर्मियों को नए क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की दीर्घिय 12 हजार से ज्यादा मास्टर ट्रेनर ने दी है। लोकसभा में 9.29 घंटे वर्षा हुई, उसमें 34 सदस्यों ने भाग लिया। राज्यसभा में 6 घंटे से ज्यादा वर्षा हुई। इसमें 40 सदस्यों ने भाग लिया। शाह ने कहा कि यह भी ज्ञान है कि विशेषक को सासदों को बाहर भेज जाने के बाद लाया गया।

## अफगानिस्तान पर हुई यूएन की बैठक में शामिल हुआ भारत

- तालिबान के नेता मौजूद रहे, यूएन ने साफाई-टी-मीटिंग का मुकाबल मान्यता देना नहीं

काबुल (एजेंसी)। करत की राजधानी दोहा में रविवार को अफगानिस्तान को लेकर संयुक्त राष्ट्र संघ की एक बैठक हुई। इसमें भारत समेत 25 देश शामिल हुए। साथ ही ऐसा पहली बार हुआ जब तालिबान के नेता अफगानिस्तान पर चर्चा के दौरान मौजूद रहे हों। इससे बढ़ते वे



यूएन की हर उस बैठक का बहिष्कार करते रहे हैं कि जिनमें अफगानिस्तान पर चर्चा की गई है। हालांकि, यूएन ने एप्प कर दिया था कि इस बैठक का मकास तालिबान को मान्यता देना नहीं है। इसके बाद बैठक एक मानवाधिकार साकानों ने मीटिंग की आलोचना की और सवाल उठाया। इस संगठनों की मांग है कि जब तक तालिबान महिलाओं के अधिकारों का हनन करता रहेगा तब तक न तो उससे बात की जाए और न उन्हें मान्यता मिले। अफगानिस्तान पर हुई यूएन की मीटिंग में भारत की तरफ से विद्युत मान्यता के अधिकारी जेपी सिंह शामिल हुए। हालांकि, इस वक्त विदेश मंत्री एस जयशंकर भी दोहा में थे पर वैटक में नहीं गए। भारत अपनी तालिबान के मामले में फूक-फूक कर कदम रख रहा है।

## देश के लिए ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण है एक जुलाई का दिन - मुख्यमंत्री डॉ. यादव

### ● मुख्यमंत्री ने नई न्याय व्यवस्था के क्रियान्वयन के लिए प्रधानमंत्री श्री मोदी का माना आभार



भोपाल (नगर)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि आज एक जुलाई का दिन महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक है। अंग्रेजों के समय से चले आ रहे तीन कानूनों को बदलकर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में नई व्यवस्था का क्रियान्वयन आरंभ हो रहा है। इस व्यवस्था के लिए मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मत्रिपरिवर की ओर से प्रधानमंत्री श्री मोदी को धन्यवाद दिया।

महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। प्रदेश के नाकों में गुजरात पैटन पर चैक-पोस्ट संबंधी नई व्यवस्था लागू की जा रही है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने विधानसभा के समिति कक्ष में आयोजित मर्यादिप्रयोग की बैठक से पहले अपने संबोधन में यह बात कही।

प्रदान किया है। अब भारतीय दंड संहिता को हमारी न्याय परम्परा से जोड़ते हुए न्याय सहित काहा जाएगा। अंग्रेज तो दंड देने के अधिकारी थे, लेकिन अब हमारी व्यवस्था व्यापक विचार-विमर्श के बाद नए कानूनों के प्रारूपों को अंग्रेज दंड संहिता को अदालत में कहा जाएगा।

#### दी जन्मदिवस की शुभकामनाएं

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने उप मुख्यमंत्री श्री जयपाल देवडा, राज्य मंत्री श्री दिलीप अहिरवर और पूर्व मंत्री श्री गोपाल भार्गव को जन्म दिवस की बधाई व शुभकामनाएं दी।

## जेल में बंद कश्मीरी सांसद को मिली राहत

- लोकसभा में शपथ लेने पर एनआईए ने जारी की राहत

नई दिल्ली (एजेंसी)। एनआईए ने कश्मीरी नेता और लोकसभा चुनाव में जीते निर्दलीय सांसद गशिद इंजीनियर को 5 जुलाई को संसद में शपथ लेने की अनुमति देने पर सहमित दे दी है। एनआईए के बकीत ने

दिल्ली की अदालत में कहा जेल में बंद कश्मीरी नेता राशिद दोस्त को मैडिको से बात हो रही है। हेरिकेन बेरिल काफी खत्मान हो गया है। यह सब चक्रवात की बजह से हो रहा है। एनआईए के बीच बातों के आधार पर संपर्क में सासद के तौर पर शपथ लेने की अनुमति देनी चाहिए। एनआईए द्वारा कहा गया है कि सहमित शर्तों पर ही राहत दी जाएगी। अगले कुछ घंटों में यह दिल्ली की अदालत में कहा जाएगा। अभी किसी को पता नहीं है कि क्या जीसा की अदालत में बंद कश्मीरी नेता राशिद दोस्त को मैडिको से बात हो रही है। यह कैरियर के आने पर वहां ने बंद कश्मीरी नेता राशिद दोस्त को जीसा की अदालत में बंद कर दिया गया है। यह सब चक्रवात की बजह से हो रहा है। हेरिकेन बेरिल काफी खत्मान हो गया है। यह कैरियर के आने पर संपर्क में तबीला हो गया है। बाराबादोस में एनआईए के बीच बातों के आधार पर संपर्क में तबीला हो गया है। एनआईए द्वारा कहा गया है कि सहमित शर्तों पर ही राहत दी जाएगी। अगले कुछ घंटों में यह दिल्ली की अदालत में बंद कश्मीरी नेता राशिद दोस्त को मैडिको से बात हो रही है। यह कैरियर के आने पर वहां ने बंद कश्मीरी नेता राशिद दोस्त को जीसा की अदालत में बंद कर दिया गया है। यह सब चक्रवात की बजह से हो रहा है। एनआईए के बीच बातों के आधार पर संपर्क में तबीला हो गया है। यह कैरियर के आने पर वहां ने बंद कश्मीरी नेता राशिद दोस्त को जीसा की अदालत में बंद कर दिया गया है। यह सब चक्रवात की बजह से हो रहा है। हेरिकेन बेरिल काफी खत्मान हो गया है। यह कैरियर के आने पर संपर्क में तबीला हो गया है। बाराबादोस में एनआईए के बीच बातों के आधार पर संपर्क में तबीला हो गया है। एनआईए द्वारा कहा गया है कि सहमित शर्तों पर ही राहत दी जाएगी। अगले कुछ घंटों में यह दिल्ली की अदालत में बंद कश्मीरी नेता राशिद दोस्त को मैडिको से बात हो रही है। यह कैरियर के आने पर संपर्क में तबीला हो गया है। एनआईए द्वारा कहा गया है कि सहमित शर्तों पर ही राहत दी जाएगी। अगले कुछ घंटों में यह दिल्ली की अदालत में बंद कश्मीरी नेता राशिद दोस्त को मैडिको से बात हो रही है। यह कैरियर के आने पर संपर्क में तबीला हो गया है। एनआईए द्वारा कहा गया है कि सहमित शर्तों पर ही राहत दी जाएगी। अगले कुछ घंटों में यह दिल्ली की अदालत में बंद कश्मीर

# जुलाई में इंदौर को तरबूतर करती रही है बारिश

इस बार भी अच्छी बारिश के आसार; पिछले साल हुई थी  
17 इंच बारिश

इंदौर (नप्र)। इंदौर में मानसून लेट होने के कारण जून में बारिश 4 इंच हो गई थी, जबकि कोटा की रीब 6 इंच का है। जून महीने के अंतिम दिन बारिश को भी सुनहरे सूबे बादल छाए। फिर धूप भी निकली और मौसम बदल गया। बादलों के छाने के बाद कुछेक मिनट रुक-रुक कर हल्की बारिश हुई। जुलाई माह शुरू हो गया। इस माह की बारिश को कोटा 12 इंच का है। पिछले दो साल से जुलाई में खासी बारिश हुई है। पिछले साल 17 इंच बारिश हुई थी जिससे शरक को तर कर दिया था। इंदौर में जुलाई माह के एक दशक में से छह साल ऐसे रहे जब जुलाई में औसत से ज्यादा पानी बरसा। अब प्रत्येक में बारिश का सिस्टम स्टॉना होता जा रहा है। मौसम वैज्ञानिकों का अनुमान है कि इस बार भी जुलाई माह शरक को काफी रट करेगा। इस साल मानसून देर (22 जून को) से आया है।



इंदौर में ट्रैक्टर वह है कि यहां जुलाई के पूर्व में ही दरिश-पश्चिम मानसून का आगमन हो जाता है। इस दौरान मानसून द्रैग्निक, एक लम्बा कम दबाव वाला क्षेत्र बनाता है। दक्षिण की ओर प्रवास के परिणाम स्वरूप क्षेत्र में से ज्यादा बारिश हुई थी। पिछले साल 18 इंच बारिश हुई और माह में 27 दिन पानी बरसा।

प्रवास से क्षेत्र में मानसून की स्थिति में बाधा उत्पन्न हो जाती है जिससे बारिश में रुकावट आती है। जुलाई में कमी-कमी बहुत ज्यादा बारिश भी होती रही है। 2013 में 22 इंच से ज्यादा बारिश हुई थी। पिछले साल 18 इंच बारिश हुई और माह में 27 दिन पानी बरसा।

## जानिए जुलाई माह का मिजाज

- जुलाई माह का दिन का औसत तापमान 30.2 डिग्री सेल्सियस और रात का 22.8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। आद्रता 86वां-72वां के बीच होती है।

- औसत बारिश 310.1 मिमी (12 इंच) होती है। बारिश के दिनों की औसत संख्या 13 दिन होती है।

- जुलाई माह में सबसे ज्यादा बारिश 1973 में 773.8 मिमी (30 इंच से ज्यादा) दर्ज की गई।

- 24 घंटे में सबसे ज्यादा बारिश 27 जुलाई 1913 को 293.4 मिमी (कीरीब 12 इंच) दर्ज की गई।

- जुलाई में दिन का सबसे ज्यादा तापमान 12 जुलाई 1966 को 39.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। रात का न्यूनतम तापमान 11 जुलाई 1983 को 18.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

- जिले में अब तक की सबसे ज्यादा बारिश 1973 में 30 इंच से ज्यादा बारिश हुई थी।

जिसका उत्तर की ओर आया है।

# फिजिबिलिटी सर्वे जल्द शुरू होगा

## केबल कार, राजबाड़ा से रिंग रोड, बीआरटीएस के बीच संभावना



गया, लेकिन मेट्रो की कावायद के चलाने प्लान ठड़े बस्ते में बदल गया। हाल ही में नगरीय आवास व विकास विभाग के मंत्री के निर्देश पर आईटीएस ने इसके स्वरूप एंटरप्राइज ठड़े बस्ते में निर्माण करना शुरू किया।

केबल कार, राजबाड़ा से रिंग रोड, बीआरटीएस के बीच संभावना

इंदौर (नप्र)। शहर के व्यास क्षेत्रों में लोक परिवहन के लिए केबल कार चलाने की योजना के लिए एक और नायी रास्ता ने भी रोच दियाई थी। कांडनी शहर के विभिन्न क्षेत्रों में अलग रुट पर फिजिबिलिटी देखिये। ऑपरेशन मॉडल भी प्रस्तावित करेंगे। आईटीएस ने पल्टिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अधीन प्रस्ताव तैयार किया है। इसे भी परखा जाएगा।

राजबाड़ा, सियांगंज, जवाहर मार्ग, सुधापाल, एम-जीरोड़ से बीआरटीएस, रिंग रोड तक व अब क्षेत्रों में केबल कार चलाने की योजना है। 5 साल से इसके लिए अनग-अलग स्तर पर प्रयास हो रहे हैं। इसके लिए प्रारंभिक सर्वे भी किया गया है।

जिसमें चलाने की योजना है। इस साल तक ज्यादा हो जाएगा। बहुत शक्ति का रास्ता नहीं है। बाकी रास्तों पर यह अब तक नहीं है।

जिसमें चलाने की योजना है। इस साल तक ज्यादा हो जाएगा। बहुत शक्ति का रास्ता नहीं है।

जिसमें चलाने की योजना है। इस साल तक ज्यादा हो जाएगा। बहुत शक्ति का रास्ता नहीं है।

जिसमें चलाने की योजना है। इस साल तक ज्यादा हो जाएगा। बहुत शक्ति का रास्ता नहीं है।

जिसमें चलाने की योजना है। इस साल तक ज्यादा हो जाएगा। बहुत शक्ति का रास्ता नहीं है।

जिसमें चलाने की योजना है। इस साल तक ज्यादा हो जाएगा। बहुत शक्ति का रास्ता नहीं है।

जिसमें चलाने की योजना है। इस साल तक ज्यादा हो जाएगा। बहुत शक्ति का रास्ता नहीं है।

जिसमें चलाने की योजना है। इस साल तक ज्यादा हो जाएगा। बहुत शक्ति का रास्ता नहीं है।

जिसमें चलाने की योजना है। इस साल तक ज्यादा हो जाएगा। बहुत शक्ति का रास्ता नहीं है।

जिसमें चलाने की योजना है। इस साल तक ज्यादा हो जाएगा। बहुत शक्ति का रास्ता नहीं है।

जिसमें चलाने की योजना है। इस साल तक ज्यादा हो जाएगा। बहुत शक्ति का रास्ता नहीं है।

जिसमें चलाने की योजना है। इस साल तक ज्यादा हो जाएगा। बहुत शक्ति का रास्ता नहीं है।

जिसमें चलाने की योजना है। इस साल तक ज्यादा हो जाएगा। बहुत शक्ति का रास्ता नहीं है।

जिसमें चलाने की योजना है। इस साल तक ज्यादा हो जाएगा। बहुत शक्ति का रास्ता नहीं है।

जिसमें चलाने की योजना है। इस साल तक ज्यादा हो जाएगा। बहुत शक्ति का रास्ता नहीं है।

जिसमें चलाने की योजना है। इस साल तक ज्यादा हो जाएगा। बहुत शक्ति का रास्ता नहीं है।

जिसमें चलाने की योजना है। इस साल तक ज्यादा हो जाएगा। बहुत शक्ति का रास्ता नहीं है।

जिसमें चलाने की योजना है। इस साल तक ज्यादा हो जाएगा। बहुत शक्ति का रास्ता नहीं है।

जिसमें चलाने की योजना है। इस साल तक ज्यादा हो जाएगा। बहुत शक्ति का रास्ता नहीं है।

जिसमें चलाने की योजना है। इस साल तक ज्यादा हो जाएगा। बहुत शक्ति का रास्ता नहीं है।

जिसमें चलाने की योजना है। इस साल तक ज्यादा हो जाएगा। बहुत शक्ति का रास्ता नहीं है।

जिसमें चलाने की योजना है। इस साल तक ज्यादा हो जाएगा। बहुत शक्ति का रास्ता नहीं है।

जिसमें चलाने की योजना है। इस साल तक ज्यादा हो जाएगा। बहुत शक्ति का रास्ता नहीं है।

जिसमें चलाने की योजना है। इस साल तक ज्यादा हो जाएगा। बहुत शक्ति का रास्ता नहीं है।

जिसमें चलाने की योजना है। इस साल तक ज्यादा हो जाएगा। बहुत शक्ति का रास्ता नहीं है।

जिसमें चलाने की योजना है। इस साल तक ज्यादा हो जाएगा। बहुत शक्ति का रास्ता नहीं है।

जिसमें चलाने की योजना है। इस साल तक ज्यादा हो जाएगा। बहुत शक्ति का रास्ता नहीं है।

जिसमें चलाने की योजना है। इस साल तक ज्यादा हो जाएगा। बहुत शक्ति का रास्ता नहीं है।

जिसमें चलाने की योजना है। इस साल तक ज्यादा हो जाएगा। बहुत शक्ति का रास्ता नहीं है।

जिसमें चलाने की योजना है। इस साल तक ज्यादा हो जाएगा। बहुत शक्ति का रास्ता नहीं है।

जिसमें चलाने की योजना है। इस साल तक ज्यादा हो जाएगा। बहुत शक्ति का रास्ता नहीं है।

जिसमें चलाने की योजना है। इस साल तक ज्यादा हो जाएगा। बहुत शक्ति का रास्ता नहीं है।

जिसमें चलाने की योजना है। इस साल तक ज्यादा हो जाएगा। बहुत शक्ति का रास्ता नहीं है।

जिसमें चलाने की योजना है। इस साल तक ज्यादा हो जाएगा। बहुत शक्ति का रास्ता नहीं है।

जिसमें चलाने की योजना है। इस साल तक ज्यादा हो जाएगा। बहुत शक्ति का रास्ता नहीं है।

जिसमें चलाने की योजना है। इस साल तक ज्यादा हो जाएगा। बहुत शक्ति का रास्ता नहीं है।

जिसमें चलाने की योजना है। इस साल तक ज्यादा हो जाएगा। बहुत शक्ति का रास्ता नहीं है।

## संपादकीय

### नए कानून- क्या ढर्म भी बदलेगा?

देश भर में 1 जुलाई से तीन नई फौजदारी कानून सहिताएं न्याय सहिता के रूप में लागू हो गई हैं। दिल्ली और मप्र में नए कानून के तहत एफआईआर दर्ज करने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। संकार का दबाव है कि नई व्यवस्था में कानून के साथ साथ अपराध और न्याय से जुड़ी सभी ऐसियों को जबाबदेह भी बनाना चाहा है। लेकिन सचालन यह है कि नई व्यवस्था असरकारी समिति हो, इसके तिले सकारी तंत्र का ढर्म भी बदलेगा? क्योंकि अगर इसमें कोई बदलाव नहीं नज़र आया तो नया कानून नई बोल में पुरानी शरण ही सबित होगा। प्रियों साल दिवंगर में जब ये कानून संसद में पारित हुए थे, तब सरकार ने दबाव किया था कि इससे देश में औपनिवेशिक काल के फौजदारी कानूनों की समाप्ति और आजाद भारत के नए, संशोधित और सख्त कानूनों के बुगु का स्क्रप्टापत्र होगा। यह देश पर अग्रेजों के राज की प्रतीकात्मक समाप्ति भी है। इसके तहत अब भारतीय न्याय सहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा सहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम ने बिट्रिंश काल के क्रमांक-भारतीय दंड सहिता, दंड प्रक्रिया सहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम का न्याय स्थान ले चाहा है। ये कानून अपने पूर्ववर्ती इसमें कई मार्गों में अलग और बदलते जाने की जरूरत के लिए हासिल से हैं। मसलन नये कानूनों से कई आधुनिक न्याय प्रणाली स्थापित की गई है, जिसमें 'जारी एकआईआर', पुलिस में ऑनलाइन शिकायत दर्ज करना, 'एसएमएस' (मोबाइल फोन पर संदेश) के जरिये समन भेजने जैसे इलेक्ट्रॉनिक मायम और सभी जघन्य अपराधों के बादात स्थल की अनिवार्य वीडियोग्राफी जैसे प्रावधान शामिल हैं। इन कानूनों में कुछ भी ज़ुदा सामाजिक वास्तविकताओं और अपराधों से निपटने का एक तंत्र मुहूर्ता कराया है। यह देश पर संदेश के रूपों हुए इससे प्रभावी रूप से निपटने का एक तंत्र मुहूर्ता कराया है। लेकिन नए कानूनों में एक उपायसम्बन्धीय बोलाव यह है कि ये कानून अब अपराधों को ढंड देने के ज्यादा फरियादी को न्याय देने की मंसा से ज्यादा प्रेरित है। इसमें समयबद्धता भी तय की गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शह ने संसद में कहा कि कहा कि नये कानून न्याय मुहूर्ता करने को प्राथमिकता देंगे जबकि अग्रेजों (देश पर बिट्रिंश शरण) के समय के कानूनों में दंडनीय कार्रवाई को प्राथमिकता दी गयी थी। नई व्यवस्था एक जुलाई की रात 12 बजे से देश भर के 650 से ज्यादा जिला न्यायालयों और 16 हजार पुलिस थानों में लागू कर दी गई है। अब से संज्ञेय अपराधों की सीआरपीसी की धारा 154 के बाजाय बीएनएसएस की धारा 173 के तहत दर्ज किया जाएगा। नये कानूनों के तहत अपाधिक मामलों में फैसला मुकदमा पूरा होने के 45 दिन के भीतर आएगा और पल्ली मुहूर्त के 60 दिन के भीतर आपरेट तक जाएंगे। नई भारतीय न्याय सहिता में नए अपराधों को शामिल करना चाहा गया है। जैसे-शादी का बाद धोखा देने के मामले में 10 साल तक की जेल। नस्त, जारी समुदाय, दिनों के आधार पर मौखिक लिंगिंग को मामले में आजीवन करावास की सूती, डिंटी के लिए तीन साल तक की जेल। यूपीए जैसे आत्कावाद-रोधी कानूनों को भी इसमें शामिल किया गया है। जांच-पड़ताल में अब फॉर्मेकर के रूप में नोडल अधिकारी की नियुक्ति है। जहां तक मप्र की बात है तो नए कानून की धाराओं में एक एफआईआर दर्ज करने के लिए एसीटीएनएस में नया संस्थान बदलवायर आलोड़ हो चुका है। नए कानूनों की मंशा पर सचाल भले न हो, लेकिन असली सचाल है कि कानून पालन कराने वाली एजेंसियों के काम का ढर्म भी बदलेगा या नहीं?

## नजरिया

प्रमोद भार्गव

लेखक वरिष्ठ प्रकाशक हैं।

18

57 के प्रथम स्वतंत्रा संग्राम से आहत होकर अग्रेजों ने स्वतंत्रा सेनानियों और उके मददगारों को ढंड देने की दृष्टि से अनेक औपनिवेशिक कानून लागू किये थे। इनमें प्रमुख रूप से अग्रेजों द्वारा कर्तव्य बने तीन मूलभूत कानूनों में आमूलचूल परिवर्तन किए गए हैं। 1860 में बने बीड़देन पेनल कोड को अब भारतीय न्याय सहिता (बीएनएस) कहा जाएगा। 164 साल पुराने अपराधोंसी में 511 धाराएं थीं, जो बीएनएस-2023 में 358 रह जाएंगी। इसमें 21 नए अपराध जुड़े हैं और 41 धाराओं में सजा बढ़ाई गई है। पहली बार छह अपराधों में समुदायिक सेवा की सजा जोड़ी गई है। साफ है, पीड़ितों के साथ न्याय पर फोकस किया गया है। 1898 में बने ढंड प्रक्रिया सहिता (सीआरपीसी) को भारतीय सुरक्षा सहिता (बीएनएसएस) कहा जाएगा। इसमें 47 नई धाराओं के साथ अब कूल 531 धाराएं होंगी। पहले धारा 154 में होने वाली प्राथमिकता नए कानून के तहत धारा-173 में दर्ज की जाएगी। अब पुराने कानून ढंड प्रक्रिया दर्ज करने की दृष्टि से 'न्याय' वर्ड का प्रयोग कानून के लीज़िंगों में किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शह के बाद अपराधों के बादात साथ जगहां गोपनीय और संविधान सहिता के लिए जारी किया गया है।

अग्रेजों के बनाए हुए ढंड के विधाय वाले ये कानून अब अपराधों को ढंड देने के ज्यादा फरियादी को न्याय देने की मंसा से ज्यादा प्रेरित है। इसमें समयबद्धता भी तय की गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शह ने संसद में कहा कि कहा कि नये कानून न्याय मुहूर्त बदलाव करने के प्राथमिकता देंगे। यह देश पर अपराधों के बादात स्थल की अनिवार्य वीडियोग्राफी जैसे प्रावधान शामिल है। इन कानूनों से कई ज़ुदा सामाजिक वास्तविकताओं और अपराधों से निपटने का एक तंत्र मुहूर्ता कराया जाएगा। पुलिस में ऑनलाइन शिकायत दर्ज करना, 'एसएमएस' (मोबाइल फोन पर संदेश) के जरिये समन भेजने जैसे इलेक्ट्रॉनिक मायम और सभी जघन्य अपराधों के बादात स्थल की अनिवार्य वीडियोग्राफी जैसे प्रावधान शामिल है। इन कानूनों में कुछ भी ज़ुदा सामाजिक वास्तविकताओं और अपराधों से निपटने का एक तंत्र मुहूर्ता कराया जाएगा। पुलिस में ऑनलाइन शिकायत दर्ज करना, 'एसएमएस' (मोबाइल फोन पर संदेश) के जरिये समन भेजने जैसे इलेक्ट्रॉनिक मायम और सभी जघन्य अपराधों के बादात स्थल की अनिवार्य वीडियोग्राफी जैसे प्रावधान शामिल है। इन कानूनों से कई ज़ुदा सामाजिक वास्तविकताओं और अपराधों से निपटने का एक तंत्र मुहूर्ता कराया जाएगा। पुलिस में ऑनलाइन शिकायत दर्ज करना, 'एसएमएस' (मोबाइल फोन पर संदेश) के जरिये समन भेजने जैसे इलेक्ट्रॉनिक मायम और सभी जघन्य अपराधों के बादात स्थल की अनिवार्य वीडियोग्राफी जैसे प्रावधान शामिल है। इन कानूनों से कई ज़ुदा सामाजिक वास्तविकताओं और अपराधों से निपटने का एक तंत्र मुहूर्ता कराया जाएगा। पुलिस में ऑनलाइन शिकायत दर्ज करना, 'एसएमएस' (मोबाइल फोन पर संदेश) के जरिये समन भेजने जैसे इलेक्ट्रॉनिक मायम और सभी जघन्य अपराधों के बादात स्थल की अनिवार्य वीडियोग्राफी जैसे प्रावधान शामिल है। इन कानूनों से कई ज़ुदा सामाजिक वास्तविकताओं और अपराधों से निपटने का एक तंत्र मुहूर्ता कराया जाएगा। पुलिस में ऑनलाइन शिकायत दर्ज करना, 'एसएमएस' (मोबाइल फोन पर संदेश) के जरिये समन भेजने जैसे इलेक्ट्रॉनिक मायम और सभी जघन्य अपराधों के बादात स्थल की अनिवार्य वीडियोग्राफी जैसे प्रावधान शामिल है। इन कानूनों से कई ज़ुदा सामाजिक वास्तविकताओं और अपराधों से निपटने का एक तंत्र मुहूर्ता कराया जाएगा। पुलिस में ऑनलाइन शिकायत दर्ज करना, 'एसएमएस' (मोबाइल फोन पर संदेश) के जरिये समन भेजने जैसे इलेक्ट्रॉनिक मायम और सभी जघन्य अपराधों के बादात स्थल की अनिवार्य वीडियोग्राफी जैसे प्रावधान शामिल है। इन कानूनों से कई ज़ुदा सामाजिक वास्तविकताओं और अपराधों से निपटने का एक तंत्र मुहूर्ता कराया जाएगा। पुलिस में ऑनलाइन शिकायत दर्ज करना, 'एसएमएस' (मोबाइल फोन पर संदेश) के जरिये समन भेजने जैसे इलेक्ट्रॉनिक मायम और सभी जघन्य अपराधों के बादात स्थल की अनिवार्य वीडियोग्राफी जैसे प्रावधान शामिल है। इन कानूनों से कई ज़ुदा सामाजिक वास्तविकताओं और अपराधों से निपटने का एक तंत्र मुहूर्ता कराया जाएगा। पुलिस में ऑनलाइन शिकायत दर्ज करना, 'एसएमएस' (मोबाइल फोन पर संदेश) के जरिये समन भेजने जैसे इलेक्ट्रॉनिक मायम और सभी जघन्य अपराधों के बादात स्थल की अनिवार्य वीडियोग्राफी जैसे प्रावधान शामिल है। इन कानूनों से कई ज़ुदा सामाजिक वास्तविकताओं और अपराधों से निपटने का एक तंत्र मुहूर्ता कराया जाएगा। पुलिस में ऑनलाइन शिकायत दर्ज करना, 'एसएमएस' (मोबाइल फोन पर संदेश) के जरिये समन भेजने जैसे इलेक्ट्रॉनिक मायम और सभी जघन्य अपराधों के बादात स्थल की अनिवार्य वीडियोग्राफी जैसे प्रावधान शामिल है। इन कानूनों से कई ज़ुदा सामाजिक वास्तविकताओं और अपराधों से निपटने का एक तंत्र मुहूर्ता कराया जाएगा। पुलिस में ऑनलाइन शिकायत दर्ज करना, 'एसएमएस' (मोबाइल फोन पर संदेश) के जरिये समन भेजने जैसे इलेक्ट्रॉनिक मायम और सभी जघन्य अपराधों के बादात स्थल की अनिवार्य वीडियोग्राफी जैसे प्रावधान शामिल है। इन कानूनों से कई ज़ुदा सामाजिक वास्तविकताओं और अपराधों से निपटने का एक तंत्र मुहूर्ता कराया जाएगा। पुलिस में ऑनलाइन शिकायत दर्ज करना, 'एसएमएस' (मोबाइल फोन पर संदेश) के जरिये समन भेजने जैसे इलेक्ट्रॉनिक मायम और सभी जघन्य अपराधों के बादात स्थल की अनिवार्य वीडियोग्राफी जैसे प्रावधान शामिल है। इन कानूनों से कई ज़ुदा सामाजिक वास्तविकताओं और अपराधों से निपटने का एक तंत्र मुहूर्ता कराया जाएगा। पुलिस में ऑनलाइन शिकायत दर्ज करना, 'एसएमएस' (मोबाइल फोन पर संदेश) के जरिये समन भेजने जैसे इलेक्ट्रॉनिक मायम और सभी जघन्य अपराधों के बादात स्थल की अनिवार्य वीडियोग्राफी जैसे प्रावधान शामिल है। इन कानूनों से कई ज़ुदा सामाजिक वास्तविकताओं और अपराधों से निपटने का एक





## रोटरी क्लब धार सेंट्रल द्वारा रक्तदान शिविर एवं पौधारोपण का आयोजन

धार। अंतर्राष्ट्रीय संस्था रोटरी इंटरनेशनल का वार्षिक नया कार्यक्रम 1 जुलाई से प्रारंभ होता है... इस अवसर पर रोटरी क्लब धार संसूची प्रदेश में रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है... इसी तात्पर्य में रोटरी क्लब धार सेंट्रल द्वारा भोज हॉस्पिटल धार पर अपने कार्यक्रम के प्रथम दिवस 1 जुलाई को एक विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। जिसमें 52 यूनिट रक्त क्रित्रित किया गया। 1 रक्तदाताओं में ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं सहित नगर की महिलाओं, एडवोकेट, डॉक्टर, व्यापारी सहित कई अन्य वर्ग के युवाओं सहित नगर की महिलाओं, एडवोकेट, डॉक्टर, व्यापारी सहित कई अन्य वर्ग के युवाओं ने गर्मजीशी से दिस्या लिया। संस्था के अध्यक्ष रोटरीन डा. मनोज सिंह, सचिव रोटरीन डा. नागरिक विमल कुमार सिंह, प्रोजेक्ट डाइरेक्टर रोटरीन डा. अंजेला मात्रकल, संस्थापक अध्यक्ष रोटरीन अस्ण वर्मा ने समस्त नगरवासियों के इस



शिविर में आकर मानवता की सेवा के जर्जे की प्रशंसा का एवं सभी रक्त दाता, भोज हॉस्पिटल के सिविल सर्जन डा. जोसेफ, रक्त विभाग के डा. अनिल वर्मा एवं उनके समस्त स्टाफ का अभार माना। रक्तदान शिविर पश्चात रोटरी क्लब धार सेंट्रल द्वारा वीजी जी कॉलेज धार पर पौधारोपण भी किया गया।

अमलातास, शीशम, सागवान, गुलमोहर, आम, बांस इत्यादि प्रजाति के लाभापां 250 पौधों का रोपण कॉलेज के प्रिसिपल डा. एस बघेल,

प्रोफेसर गजेंद्र उज्जेनकर, प्रोफेसर कविता पाल, प्रोफेसर रीना चौहान एवं अन्य प्रोफेसर्स सहित कॉलेज के कई छात्रों के सहयोग द्वारा किया गया। देनों कार्यक्रम में रोटरीन डा. प्रदीप पाल, अलका वर्मा, डा. शशांक तिलवनकर, ममता जोशी, सचिव बाफना, दिलीप मेहंदी, डा. ऋषि तिवारी, प्रफुल्ल दास, सिल्वी सिंह, संजय लूहियाना, रमेश दत्त, दर्पण मगल इत्यादि सदस्यों का सहयोग प्राप्त हुआ। जनकारी रोटरीन एस्ट्रिल जैन ने दी।

प्रोफेसर गजेंद्र उज्जेनकर, प्रोफेसर कविता पाल, प्रोफेसर रीना चौहान एवं अन्य प्रोफेसर्स सहित सर्जन डा. जोसेफ, रक्त विभाग के डा. अनिल वर्मा एवं उनके समस्त स्टाफ का अभार माना। रक्तदान शिविर पश्चात रोटरी क्लब धार सेंट्रल द्वारा वीजी जी कॉलेज धार पर पौधारोपण भी किया गया।

अमलातास, शीशम, सागवान, गुलमोहर, आम, बांस इत्यादि प्रजाति के लाभापां 250 पौधों का रोपण कॉलेज के प्रिसिपल डा. एस बघेल,

नवीन आपराधिक कानून 2023 आज से लागू

नवीन आपराधिक कानून 2023 आज लागू किया गया है। इस नवीन कानून के लिए नवीन पुलिस थाना परिसर में जगरूकता अभियान कार्यक्रम अनुविभागीय अधिकारी बृजेंद्र रावत, एसडीएम पुलिस संजू चौहान, तहसीलदार अलका एका, नगर निरीक्षक कंचनसिंह, नगर तहसीलदार अंजू आदि के अतिथि में संपन्न हुआ। इस अवसर पर नगर निरीक्षक कंचनसिंह वीजी एस 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा सहिता 2023 एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम बीएस 2023 में किए गए परिवर्तन में बताया कि आज से भारत वर्ष में अंग्रेजी के 1861 साल पुराने कानून को देश में 163 साल बाद बल करके परिवर्तन किए गए हैं। अब तारीख पर तारीख वाले मिला कीटों दूर चल गया है। अपने नागरिकों को नवीन कानून की विस्तृत जानकारी दी। अनुविभागीय अधिकारी बृजेंद्र रावत ने भी नवीन कानून की बारीकीयां समझाई। आपने आगे कहा कि इस कानून में वीडियो आदि सोशल

नेटवर्किंग को भी साक्ष्य में शामिल किया गया है। किन्तु उसे कोई छेड़छाड़ न की गई है। एसडीओ पुलिस संजू चौहान ने कहा कि अब देश में कहीं भी किसी भी नगर ग्राम के नागरिक की रिपोर्ट दर्ज की जा सकती है। आपने कहा कि मालालिंग, सामूहिक, अपराध आदि को

नवीन कानून में स्थान दिया गया है।

इस अवसर पर विष्णु कांग्रेस नेता मेहरबान सिंह पटेल, जनपद पंचायत अध्यक्ष जालम सिंह, जनपद उपाध्यक्ष राघवेंद्र सिंह पटेल, नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि यशवंत पटेल, नगर पंचायत उपाध्यक्ष आकाश पटेल,

अनिल गहरौया, पार्वद जमील खान बकाल देवान्धु शर्मा, चौबे जी नगरपालिका भारी संख्या में मात्रशक्ति उत्सवित थीं। कार्यक्रम के अंत में राष्ट्रीय गीत का आयोजन किया गया। तहसीलदार अलका एका ने भारत माता की जय के नामे भी लगाया।

नवीन आपराधिक कानून 2023 आज से लागू

नर्सिंग घोटाले पर हंगामा, विधानसभा की कार्यवाही आज तक स्थगित

# नेता प्रतिपक्ष बोले- 300 करोड़ की वसूली हुई, मंत्री विश्वास सारंग को बर्खास्त करें

कांग्रेस विधायक एप्रिल पहनकर विधानसभा पहुंचे, नर्सिंग घोटाले को लेकर प्रदर्शन और नारेबाजी की

**भोपाल (नप्र)**। मध्यप्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन सोमवार को कांग्रेस ने नर्सिंग घोटाले पर चर्चा की मांग की। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंहरान ने कहा, युवाओं के साथ अन्याय हुआ है, चर्चा हीने से नहीं हो सकती। इसके बाद सदन में हंगामा हो गया। विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह ही तोपर ने दोपहर 1 बजे तक के लिए कार्यवाही स्थगित कर दी।

कार्यवाही दोबारा शुरू होने पर सिंधार ने एक बाद सत्र दिया, मात्रा कोटे में है तोपर चर्चा की बात कही। इस पर सोलह मोहन यादव ने कहा, नियम प्रक्रिया के अन्तर्गत मात्र परपरा में चर्चा के लिए तैयार हैं। उत्तेजना से हम बात सुन नहीं सकते। हम सीधी साधारण भाषा बोलते हैं। किसी से डरते नहीं हैं।

इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने कहा, यह आप दोनों से मुझ पर छोड़े जाएं के लिए कहा है तो कल इसका ध्यान रखेंगे। प्रश्नोत्तर काल के बाद चर्चा होगी। कांग्रेस विधायक एप्रिल पहनकर विधानसभा की कार्यवाही में शमिल होने पर हुए थे। वे हाथों में नर्सिंग घोटाला लिखे कागज पकड़े थे।



सत्र के लिए कुल 4287 सवाल आए

बजट सत्र में विधायकों ने कुल 4287 सवाल सरकार से पूछे हैं। इनमें 2108 सवाल ताराकृत और 2179 सवाल अताराकृत हैं। अनन्तालाइन सवालों की संख्या 2386 है जबकि 1901 सवाल ऑफलाइन आए हैं। ध्यानाकरण की 163, स्थगन प्रतावक की 1, अंतर्राष्ट्रीय संकल्प की 27 तथा शृंखला की 43 सूचनाएं विधानसभा सचिवालय को मिली हैं।

कांग्रेस विधायकों ने एट्री ही एप्रिल पहनकर की थी

विधानसभा की कार्यवाही शुरू होने से पहले नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंधार और कांग्रेस विधायक एप्रिल पहनकर हुए और नर्सिंग घोटाले को लेकर नारेबाजी की। कमलनाथ ने कहा, प्रश्न ये नहीं है कि प्रदेश में घोटाले हुए, प्रश्न ये है कि बाद शुरू करने की मांग को लेकर नारेबाजी की।

गजपूत बोले- विपक्ष के पास न मुद्दा बचा है न कोई बोलने वाला। विपक्ष अगर स्थगन प्रस्ताव लाता है तो हम उसका जवाब देने को भी तैयार हैं।

नेता प्रतिपक्ष बोले- नर्सिंग घोटाले में 300 करोड़ की वसूली हुई

नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंधार ने कहा, नर्सिंग घोटाले में प्रदेश के अंदर 300 करोड़ की वसूली की गई। मंत्री सारांश ने अपने हिसाब से कानून बनाए। फेरबदल किए। कानून ने फटकार लाई, लेकिन उत्तेजना बात नहीं सुनी। अगे घोटाले न हो, इसको लेकर हम विश्वास सारंग के इस्तीक की मांक कर रहे हैं।

कांग्रेस ने नारेबाजी की, मंत्री सारंग को बर्खास्त करने की मांग

विधानसभा में हंगामे के बाद कार्यवाही स्थगित की गई तो विपक्ष बाहर आ गया। यहां गांधी प्रतिमा के सामने प्रदर्शन कर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारांश को बर्खास्त करने की मांग को लेकर नारेबाजी की।

संसद में राहुल गांधी पर भड़के शिवराज

राहुल बोले- किसानों को एमएसपी नहीं दी; कृषि मंत्री ने कहा- ऐसा है तो साबित करें



भोपाल (नप्र)। लोकसभा में सोमवार को नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आपने स्थाने आ गए। राहुल गांधी ने आपो लगाया कि किसानों को उनकी फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिल रहा है। जिस पर शिवराज सिंह ने कहा कि राहुल गांधी गलत बयानबाजी कर रहे हैं। दरअसल, नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद राहुल गांधी समवार को पहली बार संसद में बोला। उत्तेजने कहा कि किसान का कर्जा माफ होना चाहिए और उसे एमएसपी मिलनी चाहिए। आपके सरकार ने कहा दिया कि किसान का कर्जा माफ होना चाहिए और उसे एमएसपी मिलनी चाहिए। आपके सरकार ने कहा कि राहुल गांधी और एमएसपी नहीं मिलती। गहुल की इस बात पर कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भड़क गए। उत्तेजने गहुल को इस बयान को साबित करने की चुनौती दे डाली। राहुल गांधी ने कहा कि राहुल 700 किसान शहरी हुए, हमने कहा संसद में मौन होना चाहिए। अपने मौन नहीं होने दिया। अपने कहा ये किसान नहीं है। आपके मुताबिक यह किसान नहीं थे, आतकवादी थे। राहुल गांधी ने आगे कहा कि किसानों ने सिर्फ यह कहा कि एमएसपी पर खरीद जारी है। आज भी एमएसपी पर खरीद जारी है। यह गलत बयानी कर रहे हैं। यह इस बात की सत्यापित करें कि एमएसपी पर खरीदी नहीं हो रही।

सही प्राइस मिलती है, हमें भी एमएसपी दे दीजिए। अप लोगों ने कहा कि किसान का कर्जा माफ नहीं होगा। और एमएसपी नहीं मिलेगी।

# म.प्र.में 1 जुलाई से आरटीओ चेक पोस्ट बंद

45 चेक पाइंट बनाकर होगी जांच, करण रोकने बॉडी वार्न कैमरे से लैस रहेंगे कर्मचारी

**भोपाल (नप्र)**। मध्यप्रदेश में एक जुलाई से प्रदेश की अंतर्राज्यीय सीमाओं पर परिवहन जांच कैमियां (आरटीओचेक पोस्ट) बंद हो गई हैं। नई व्यवस्था के तहत रोड सेफ्टी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर चेकिंग व्हाइट बनाए जाएंगे। पहले चरण में 45 चेक

सीएल मकानी ने कहा, नई व्यवस्था से ट्रक ऑपरेटरों की समस्या 70 फीसदी तक खत्म हो जाएगी। इससे न सिर्फ ट्रक ऑपरेटरों को फायदा होगा बल्कि हाईवे पर भी इकानीं बेंडर होगी। बाहर की गाड़ियां आएंगी तो ढाबे, पेट्रोल पम्प पर भी कारोबार बढ़ेगा। उत्तेजने कहा कि एमी में जल्द से जल्द मानव रहिंद व्यवस्था बनाकर टेक्नोलॉजी के जरिये योगीज जारी कर दें।

211 होमगार्ड्स के जवानों की जिले वार प्रतिनियुक्ति की गई: मध्यप्रदेश में दूसरे राज्यों की सीमाओं से सटे क्षेत्रों में चालित परिवहन चेक पोस्ट की जगह 45 रोड सेफ्टी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर चेक पॉइंट और 45 सेफ्टी पम्प एंड इंफ्रास्ट्रक्चर चेक पॉइंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर चेक पॉइंट पर चालित राज्यों के बीच व्यापार बढ़ाव देने के लिए योगीज करना चाहिए।

इसपर चेक पॉइंट पर होगी जांच, बॉडी वार्न कैमरे से लैस होगा अमला:

परिवहन मत्री राव उदय प्रताप सिंह ने बताया कि प्रमोशन से भेरे जाने वाले पदों को छोड़कर बाकी अपले की भीती जल्दी होगी। तब तक प्रतिनियुक्ति पर स्टाफ की व्यवस्था होगी। परिवहन चौकी बंद होने के बाद गुजरात के पैटेन्ट पर हाईटेक तरीके से वाहनों की नियमानुसार जांच की व्यवस्था की जाएगी। वाहनों की ओवर लॉडिंग की जांच करने के लिए मोबाइल वेइंग मशीन यानी चालित धर्म काटे भी मंगा जाएगी। परिवहन चेक पॉइंट पर वाहन चालकों को परेशनी ना हो और सिस्टम में पारदर्शित हो। इसके लिए स्टाफ को बाहर नियमों के लिए कागज देना चाहिए।

नए कानून में आमजन को राहत: अंडीजी व्यालियर सकसेना ने कहा कि सप्त व्यवस्था बनाए रखना चाहिए। अपराध का तीक्ष्ण भी बदला हो। अपराधी को जनता को जल्द लाभ मिलेगा और अपराधी बच नहीं सकते।

गुरुवार पैटेन्ट पर होगी जांच, बॉडी वार्न कैमरे से लैस होगा अमला:

परिवहन मत्री राव उदय प्रताप सिंह ने बताया कि व्यवस्था बनाए जाना चाहिए। जिसके बाद गुजरात के पैटेन्ट पर हाईटेक तरीके से वाहनों की नियमानुसार जांच की व्यवस्था की जाएगी। वाहनों की ओवर लॉडिंग की जांच करने के लिए मोबाइल वेइंग मशीन यानी चालित धर्म काटे भी मंगा जाएगी। परिवहन चेक पॉइंट पर वाहन चालकों को परेशनी ना हो और सिस्टम में पारदर्शित हो। इसके लिए स्टाफ को बाहर नियमों के लिए कागज देना चाहिए।

नए कानून में आमजन को राहत: अंडीजी व्यालियर सकसेना ने कहा कि सप्त व्यवस्था बनाए रखना चाहिए। अपराध का तीक्ष्ण भी बदला हो। अपराधी को जनता को जल्द लाभ मिलेगा और इनका क्रियान्वयन करना चाहिए।

पुलिस की जिम्मेदारी है, जिससे जिम्मेदारी है। जिससे जिम्मेदारी है।

पुलिस की जिम्मेदारी है।